IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उ0प्र0 आवास एंव विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय
आफिस कम शापिंग काम्प्लेक्स
अंगूरीबाग अयोध्या

भारतीय मानक ब्यूरो IS15700 SQMS

पत्र सं0–   /सं0 प्र0 अयोध्या/   दिनांक–

प्रदेशन–पत्र

सेवा में,   पंजीकृत डाक द्वारा

श्री ----------------

पुत्र श्री -----------------------

निवासी–------------------------------------

----------------------- उ0प्र0--------------

मो0–..........................

विषयः– परिषद की भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार योजना, अयोध्या स्थित आवासीय भूखण्ड सं0–-------------------(क्षेत्रफल–............ व0मी0) के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पंजीकरण सं0–..........................के विरूद्ध दिनांक ....को हुये लाट्री ड्रा द्वारा परिषद की भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार योजना, अयोध्या में स्थित आवासीय भूखण्ड सं0–-----------------नगद/किश्त क्रय पद्धति पर परिषद द्वारा निर्धारित शर्तो के अधीन आवंटित किया जाता है।अतः उक्त भूखण्ड का प्रदेशन–पत्र आपके पक्ष में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

1	भूखण्ड सं0–----------- का क्षेत्रफल .... वर्ग मी0	
(क)	भूखण्ड का कुल मूल्यः–	रू0
2	पंजीकरण धनराशि	रू0
3	नकद क्रय पद्धति पर भुगतान योग्य धनराशि (1 – 2)	रू0
4	प्रथम किश्त के साथ एक मुश्त ....% देय धनराशि	रू0
5.	रू0 100 के गुणांक में	रू0
6	अवशेष धनराशि रू0 .... पर @............% ब्याज के साथ बनाई गई .... मासिक किश्त	रू0
7	दिनांक .... तक जमा योग्य कुल धनराशि (4+5+6)	रू0
8.	अगली मासिक किश्त रू0–..............00 दि0 .... से देय होगी।	

विविध शुल्क :–

(क)	विलेख निषादन व्यय	रू0
(ख)	साइट प्लान शुल्क	रू0
(ग)	विज्ञापन व्यय 0.25%	रू0
(घ)	पुस्तिका	रू0
(ड)	जल/सीवर संयोजन शुल्क	रू0
(च)	जी0एस0टी0	रू0
9.	दिनांक .... तक जमा योग्य कुल धनराशि	रू0

10. किसी भी देय धनराशि का विलम्ब से भुगतान करने पर .... % की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

11. उपरोक्त विवरण के बिन्दु 07 में अंकित धनराशि .... शाखा .... में परिषद के वसूली खाता संख्या ....तथा बिन्दु सं0 09 में अंकित धनराशि परिषद के विविध खाता संख्या .... आई0एफ0एस0सी0 कोड.............................. में दिनांक .... तक स्वयं के खाते से आनलाईन जमा करनी होगी। धनराशि जमा न करने पर आवंटी को 15–15 दिन पर 02 नोटिस देने के बाद भी यदि धनराशि जमा नहीं होती है तो परिषद नियमानुसार आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

(RPrasad)

सम्पत्ति प्रबन्धक

.........क्रमशः–2

12. जी0एस0टी0 की देयता होने पर जी0एस0टी0 का भुगतान अतिरिक्त देय होगा।
13. प्रदेशन पत्र निर्गमन तिथि से भूखण्ड के मूल्य का पूर्ण भुगतान 60 दिन के अन्दर करने पर 5% की छूट देय होगी। जिसके अनुसार रू0–..... दिनांक ..... तक जमा किया जाना है।
14. जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जायेगी। उसका भी भुगतान करना होगा।
15. विक्रय–विलेख/अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्टैम्प शुल्क नगर निगम/सरकार या अन्य किसी अधिकारी द्वारा लगाये गये समस्त करों का वहन प्रदेशन ग्रहीता को करना होगा।
16. प्रदेशन ग्रहीता को प्रदेशन पत्र में उल्लिखित धनराशि/औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि तक पूर्ण करनी होगी। आवासीय सम्पत्ति हेतु चयनित आवेदक/आवंटी द्वारा, मांग पत्र/आवंटन पत्र जो भी हो, के जारी होने की तिथि से 03 माह के अन्दर सम्पत्ति के निरस्तीकरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो, पंजीकरण का 20 प्रतिशत तथा तीन माह के बाद आवेदन करने पर 50 प्रतिशत कटौतियाँ करते हुये निरस्त किया जायेगा।
17. भूखण्डो के सम्बन्ध में शासन/परिषद द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/नियम भी प्रदेशन ग्रहीता पर लागू होगें। किसी सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश पर परिषद किसी हर्जे या ब्याज का देनदार नहीं होगा।
18. भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने हेतु देय धनराशि तथा निम्नलिखित प्रपत्र दिनांक ..... तक इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दें अन्यथा रू0–20/–(80.00 वर्ग मी0 तक के भूखण्ड) अथवा 50/–(80.00 वर्ग मी0 से बड़े भूखण्ड) प्रति दिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
19. रूपया 50 लाख से अधिक की सम्पत्तियों हेतु आयकर अधिनियम–1961 की धारा–194–1ए के अनुसार प्रत्येक जमा की जाने वाली धनराशि पर 1 (एक) प्रतिशत आयकर के रूप में काटकर परिषद के पैन नं0–AAAJU0103A पर आपको जमा करते हुए Form26QB/Challan Receipt उपलब्ध कराना होगा। विलम्ब की दशा में आयकर विभाग के प्रावधानों के अनुसार ब्याज भी देय होगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। दण्ड ब्याज की देनदारी परिषद की नहीं होगी।
20. प्रदेशन ग्रहीता द्वारा भौतिक कब्जे की तिथि से 5 वर्ष के अन्दर मानचित्र स्वीकृत कराकर एवं अपेक्षित धनराशि जमा कर, तदानुसार ही उक्त भूखण्ड पर निर्माण कराया जायेगा यदि 5 वर्ष तक निर्माण नही कराया जाता है तो परिषद नियमानुसार टोकन धनराशि जब्त करते हुए भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
21. विक्रय–विलेख/किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्टैम्प शुल्क, नगर निगम/उ0प्र0 सरकार/केन्द्र सरकार या परिषद द्वारा लगाये गये समस्त करों का वहन प्रदेशन ग्रहीता को करना होगा।

नोटः–

1. आवंटी द्वारा स्वयं की दो प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर सहित जो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो तथा प्रमाणित कर्ता द्वारा प्रदेशन ग्रहीता का नाम पिता/पति का नाम व पता प्रमाणितकर्ता द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में हो तथा चार फोटोग्राफ पासपोर्ट साईज़ बिना प्रमाणित।**(प्रारूप–1)**
2. बैंक में जमा धनराशि की चालान की मूल प्रति।
3. रू0 10/– के ई–स्टाम्प पेपर **(प्रारुप– 02)** नोटरी द्वारा प्रमाणित।
4. रू0 10/– के ई–स्टाम्प पेपर **(प्रारुप– 03)** नोटरी द्वारा प्रमाणित।
5. रू0 10/– के ई–स्टाम्प पेपर आवश्वासन पत्र हेतु।
6. रू0 100/–के ई–स्टाम्प पेपर मीटर बाण्ड हेतु।
7. रू0 100/–के ई–स्टाम्प पेपर विक्रय–विलेख/किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध हेतु **(आफिस कॉपी)**।
8. रू0–..... का ई–स्टाम्प पेपर विक्रय–विलेख/किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध हेतु।
9. विक्रय विलेख/किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादन हेतु शासनादेशानुसार स्टाम्प पेपर जो शासन द्वारा समय–समय पर परिवर्तनीय है।

भवदीय

(RPrasad)
सम्पत्ति प्रबन्धक